

# प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

## औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/140612/GBN/GAUTAM BUDDH NAGAR/30011/DD

दिनांक: 22-12-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **THREE C HOMES PVT LTD** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **PLOT NO. C-1 IN PLOT NO-TS-01, SECTOR-22A, YAMUNA EXPRESSWAY, GAUTAMBUDDH NAGAR** तहसील - **JEWAR** प्लाट एरिया **404860.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **66062.756** (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
BUILDING	17	1	61.20 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **THREE C HOMES PVT LTD** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **THREE C HOMES PVT LTD** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

**Note :** अग्निशमन अधिकारी /मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रेषित स्थलीय भौतिक निरीक्षण संस्तुति आख्या व अपलोडिड मानचित्रों के अनुसार सम्बन्धित सक्षम सत्ता प्राधिकारी को यह प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि उपरोक्त भवन के अध्यासन/ प्रयोग से पूर्व समस्त अग्निशमन व्यवस्थाएं उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम-2022 तद्वर्धीन नियमावली-2024 NBC-2016 के अनुसार अधिष्ठापित कराया जाना अनिवार्य है, यदि भवन स्वामी द्वारा बिना व्यवस्थाओं के अध्यासन किया जाता है, तो भवन के असुरक्षित अध्यासन हेतु सत्ता प्राधिकारी निगरानी रखे।  
this is a commercial project with mix land use. the plot parcel area for commercial is -20443.00 SQM and coverd area is 66082.80 SQM height is 65.70 mtr

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(उप निदेशक)



Digitally Signed By  
(Aman Sharma)

निर्गत किये जाने का दिनांक : 01-01-2025  
स्थान : MEERUT

[A0269865B740788D0DE1F7D7C6707A357F263D40]

01-01-2025

कार्यालय

उपनिदेशक

फायर सर्विस

मेरठ/सहारनपुर

परिक्षेत्र।

पत्रांक:2024/140612/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/30011/डी0डी0

दिनांक: जनवरी 07, 2025

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक,

M/S-THREE C HOMES PVT.LTD.

PLOT NO-C-1 IN PLOT NO-TS-01, SECTOR-22A,

YAMUNA EXPRESSWAY,

DISTRICT-GAUTAMBUDDHNAGAR,

विषय:-

M/S- THREE C HOMES PVT.LTD.PLOT NO-C-1 IN PLOT NO-TS-01, SECTOR- 22A, YAMUNA EXPRESSWAY, DISTRICT- GAUTAM BUDDH NAGAR, उ0प्र0 में प्रस्तावित आवासीय भवन को ऑनलाईन निर्गत प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र में प्लाट एरिया, कवर्ड एरिया व ऊँचाई सम्बन्धी संशोधन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:

यूआईडी:2024/140612/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/30011/डी0डी0 दिनांक: 22-12-2024

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया है कि यूआईडी:2024/140612/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/30011/डी0डी0 दिनांक: 01-01-2025 के माध्यम से आवासीय भवन को ऑनलाईन निर्गत प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रारूप में प्लाट एरिया, कवर्ड एरिया व ऊँचाई त्रुटिवश गलत अंकित हो जाने के कारण संशोधित पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त ऑनलाइन प्रार्थना पत्र के साथ संलग्नक अभिलेखों के अनुसार संशोधित विवरण निम्नवत है:-

क्र०	ब्लॉक/टावर का विवरण	
स०	ऑन लाइन निर्गत एन0ओ0सी0 के अनुसार	संशोधन के उपरान्त
01	कुल प्लाट एरिया-404860.00 वर्ग मीटर।	कॉमर्शियल सेक्टर-1 हेतु कुल प्लाट एरिया-20243.00 वर्ग मीटर।
02	कवर्ड एरिया-66062.756 वर्ग मीटर।	कवर्ड एरिया-66082.80 वर्ग मीटर।
03	भवन की ऊँचाई:-61.20 मीटर।	भवन की ऊँचाई:-65.70 मीटर टेरिस लेवल।
04	भवन की अधिभोग श्रेणी-आवासीय।	भवन की अधिभोग श्रेणी-कॉमर्शियल। (प्रश्नगत भवन में भूतल+03 तल तक कॉमर्शियल एक्टिविटीज तथा ऊपरी तलों पर सर्विस अपार्टमेन्ट/ ऑफिस कार्य हेतु प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है।)

अतः उपरोक्त भवन को ऑनलाईन निर्गत प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र में तदनुसार संशोधन समझा जाये, तथा शेष शर्तें दिनांक: 01-01-2025 को ऑनलाइन निर्गत (प्रोवीजनल) एन0ओ0सी0 के अनुसार ही अनुमन्य होगी।

  
(अमन शर्मा)

उपनिदेशक, फायर सर्विस,  
मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र।